



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, ९ मार्च, २०१९ ई० (माघ २०, १९४० शक संवत्)

### भाग ३

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,  
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

### खण्ड-घ

### जिला पंचायत

३१ जनवरी, २०१९ ई०

#### • उपविधि (BYE-LAWS)

सं० ११५/एल०बी०ए०(उप०)/२०१९-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम-१९६१ (यथासंशोधित) की धारा-२३९ एवं २३९(२) के साथ पठित अधिनियम की धारा १४३ में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत में ग्राम्य क्षेत्र में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ की धारा २(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शे एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी गयी है जो सरकारी गजट इलाहाबाद में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

#### उपविधियां

- १-जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा १७(१) में संघटित जिला पंचायत बलरामपुर से है।
- २-अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत बलरामपुर से है।
- ३-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर से है।
- ४-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत बलरामपुर से है।
- ५-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

अ-अभियन्ता-अभियन्ता जिला पंचायत, बलरामपुर।

ब-अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता जिला पंचायत बलरामपुर से है जिसकी तहसील स्तर पर तैनात क्षेत्रीय अवर अभियन्ता से है।

६-स्वामी का तात्पर्य उस व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बलरामपुर

7-अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

8-ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र से है।

9-विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

10-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

11-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का नव निर्माण/ध्वस्त कर पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करने से है।

12-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गई लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच ऊंचाई से है। भवन की ऊंचाई में मट्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

13-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के ढलान के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

14-नलिका का तात्पर्य उस निर्माण व्यवस्था से है, जिसके द्वारा रसोई, स्नानगृह से अनुपयोगी गन्दा पानी के साथ डिस्पोजल किया जाता है, जिसमें पाइप व्यवस्था भी सम्मिलित है।

15-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

16-तल (Floor level) का तात्पर्य किसी मंजिल के निचले खंड की भूमि या बने फर्श के तल के ऊपर सतह से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला, फिरा जाता हो।

17-फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

18-भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल को निर्माण से घेरे गये क्षेत्रफल से है।

19-ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

20-ले-आउट प्लान का तात्पर्य प्रस्तावित भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण के चिन्हांकन से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भूनिर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लानिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

21-अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

22-रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

23-सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गई खाली जगह अथवा रास्ते से है।

24-बहु मंजिली भवन (Multy Story) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25-मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो कि तल की ऊपरी सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच से है यह एक मंजिल कहलायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बलरामपुर

26-भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के संरचना से है, जो मानव व पालतू पशुओं के निवास तथा व्यावसायिक हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री प्रयोग कर बनाई गयी संरचना है।

27-सभी प्रकार के भवनों व संरचना या संरचना में दैवीय आपदा को दृष्टिगत रखते हुये सुरक्षा सम्बन्धित निर्माण में प्राविधान रखा जायेगा।

28-संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वालक रूप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

29-भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या कुछ बनाने का उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

30-पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा जो कि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

#### उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत बलरामपुर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धमार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का लेआउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

#### (क) नक्शा स्वीकृति न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1-उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी-

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़बा भरना।

#### (ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे-

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के लेआउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाएं प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1-स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा -

15-55-17-A

मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बलरामपुर

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम। समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतीनी आलेख इत्यादि।

2- प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने व निम्नानुसार होगा।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धार्मिक अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, प्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊंचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3- बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मी० से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी-

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निकाल आदि का विवरण व ठिकाने (Location)। निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ-

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि-

(अ) प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हों।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लागो की भावनाएँ भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश-(Technical Instructions)

1-(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मी० उंचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मी० एवं 0.75 मी० चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम उंचाई 4.5 मी० तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम उंचाई 1.5 मी० होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मी० दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर उंचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मी० अतिरिक्त उंचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मी० होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमत्त होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मी० होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मघान, सुरक्षा कैंबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत् उपकेन्द्र आदि।

(ख) मस्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ठके हुए पैदल पथ आदि।

3-(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मी० से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊँचाई 2.75 मी० आकार 1.80 मी० एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त सडास (Toilet) का आकार 1.20 मी० एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व शेशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक उंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4-क-पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots) लैंड स्कैप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमत्त फ्रन्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाइनर की होगी।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ड) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम-

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची-(I)

लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो-(FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे-

| क्रमांक | भवन एवं भू-उपयोग                               | भू-आच्छादन प्रतिशत | फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) | भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में (मीटर) | भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में (मीटर) |
|---------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | 2                                              | 3                  | 4                        | 5                                                        | 6                                          |
| 1       | (i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक        | 80                 | 3.00                     | 15                                                       | 15                                         |
|         | (ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक  | 85                 | 4.00                     | 15                                                       | 15                                         |
| 2       | ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter) | 50                 | 3.00                     | 30                                                       | 21                                         |

49-हि.ग.-2-८

आगर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बलरामपुर

| 1     | 2                                                                                        | 3   | 4    | 5  | 6  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|
| 3     | औद्योगिक भवन                                                                             | 60  | 1.00 | 18 | 12 |
| 4     | व्यावसायिक भवन—                                                                          |     |      |    |    |
| (i)   | सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल               | 40  | 2.50 | 30 | 21 |
| (ii)  | बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स                                                               | 40  | 1.50 | 24 | 18 |
| (iii) | वेयर हाउस, गोदाम                                                                         | 60  | 1.50 | 18 | 15 |
| (iv)  | दुकानें व मार्केट                                                                        | 60  | 1.50 | 15 | 10 |
| 5     | संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन—                                                               |     |      |    |    |
| (i)   | समी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि | 50  | 1.50 | 24 | 15 |
| (ii)  | हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि                                   | 50  | 1.50 | 24 | 15 |
| (iii) | हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि                                   | 75  | 2.50 | 24 | 15 |
| 6     | धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन—                                                             | 50  | 1.20 | 15 | 10 |
| (i)   | सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन         | 30  | 1.50 | 15 | 10 |
| (ii)  | धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल                                                          | 40  | 2.50 | 15 | 10 |
| (iii) | धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह                                              | 40  | 0.50 | 10 | 6  |
| 7     | कार्यालय भवन—                                                                            |     |      |    |    |
|       | सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन                                    | 40  | 2.00 | 30 | 15 |
| 8     | क्रीड़ा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र             | 20  | 0.40 | 15 | 10 |
| 9     | नर्सरी                                                                                   | 10  | 0.50 | 6  | 6  |
| 10    | बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला                                                            | 30  | 2.00 | 15 | 12 |
| 11    | फार्म हाउस                                                                               | 10  | 0.15 | 10 | 6  |
| 12    | डेरी फार्म                                                                               | 10  | 0.15 | 10 | 6  |
| 13    | मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म                                                                 | 20  | 0.30 | 6  | 6  |
| 14    | ए0टी0एम0                                                                                 | 100 | 1.00 | 6  | 6  |

## (ज) सेट बैक (Set back)

| क्रमांक | भू-खण्ड का क्षेत्रफल<br>(वर्ग मीटर) | सामने<br>(Front)<br>मीटर | साईड<br>(Side)<br>मीटर | पीछे<br>(Rear)<br>मीटर | लैंड स्केपिंग<br>(Landscaping)  | खुला<br>स्थान<br>प्रतिशत<br>तक |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1       | 2                                   | 3                        | 4                      | 5                      | 6                               | 7                              |
| 1       | 150 तक                              | 3.0                      | 0.0                    | 1.5                    | एक वृक्ष प्रति<br>100 वर्ग मीटर | 25                             |
| 2       | 151-300                             | 3.0                      | 0.0                    | 3.0                    | तदेव                            | 25                             |
| 3       | 301-500                             | 4.5                      | 3.0                    | 3.0                    | तदेव                            | 25                             |
| 4       | 501-2000                            | 6.0                      | 3.0                    | 3.0                    | तदेव                            | 25                             |
| 5       | 2001-6000                           | 7.5                      | 4.5                    | 6.0                    | तदेव                            | 25                             |
| 6       | 6001-12000                          | 9.0                      | 6.0                    | 6.0                    | तदेव                            | 25                             |
| 7       | 12001-20000                         | 12.0                     | 7.5                    | 7.5                    | तदेव                            | 50                             |
| 8       | 20001-40000                         | 15.0                     | 9.0                    | 9.0                    | तदेव                            | 50                             |
| 9       | 40001 से अधिक                       | 16.0                     | 12.0                   | 12.0                   | तदेव                            | 50                             |

## (झ) पार्किंग स्थान

| क्रमांक | भवन/भू-खण्ड                    | पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)    |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | 2                              | 3                                           |
| 1       | ग्रुप हाउसिंग योजना            | एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का  |
| 2       | संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन      | एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का |
| 3       | औद्योगिक भवन                   | एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का |
| 4       | व्यावसायिक भवन                 | एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का  |
| 5       | सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र | एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का  |
| 6       | लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल          | एक ECU प्रति 2 अतिथि कम के लिए              |
| 7       | हॉस्पिटल, नर्सिंग होम          | एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का  |
| 8       | सिनेमा, मल्टीप्लेक्स           | एक ECU प्रति 15 सीट्स                       |
| 9       | आवासीय भवन                     | एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का |

## (ज) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बलरामपुर

बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जाएगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

#### (ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

| क्रमांक | विवरण                                      | उर्ध्वाकार दूरी मीटर                              | क्षैतिज दूरी मीटर                                 |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2                                          | 3                                                 | 4                                                 |
| 1       | लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन | 2.4                                               | 1.2                                               |
| 2       | हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक          | 3.7                                               | 1.8                                               |
| 3       | एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन                 | 3.7 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर | 1.8 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर |

#### (ठ) मोबाइल टावर की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जायेंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

(घ) जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा आपरेटर कंपनी और भवन स्वामी के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायुब्रेशन (कम्पन) के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए जिला पंचायत बलरामपुर में प्रथम बार शुल्क के रूप में रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) जमा कराना होगा। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे।

अगर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत बलरामपुर

(ज) शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, अधिक धनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(झ) व्यावसायिक संस्थाएँ (कोई व्यक्ति कम्पनी फर्म ग्रुप किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग) के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत होर्डिंग हेतु 100 वर्ग प्रति मी0 जिला पंचायत बलरामपुर में जमा कर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होगा।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन :-

जिला पंचायत बलरामपुर में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर होगी।

(ख) व्यावसायिक/व्यापारिक भवन :-

सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100 रुपये प्रति वर्गमीटर, अन्य जनपदों में यह दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग)(i) भूमि की प्लानिंग :- भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लानों में बांटना।

(ii) भूमि विकास :- भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपयोग :- भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे-निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तल पट मानचित्र)

उपरोक्त ग (i) से (iv) तक जिला पंचायत बलरामपुर में 10 रुपये प्रति वर्गमीटर दर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोजियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) जिला पंचायत बलरामपुर में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 10 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ञ) जिला पंचायत बलरामपुर में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 5 रुपये प्रति मीटर दर होगी।

नोट-(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)

(ए) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1-स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2-ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

7 अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बलरामपुर

3-कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4-कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रेषित कर देगा।

5-अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6-अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7-अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।

8-अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अन्तरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शों के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जप्त हो जायेगी।

9-जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता, (Possibility) सुगमता, (Convenience) साध्यता, (Feasibility) तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10-अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11-अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12-आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13-उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14-यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद-उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

#### (त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1-भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिली एवं ऊँचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बलरामपुर

2-मूखण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3-भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग, (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service-Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4-निकटम त हवाई अड्डों चाहे विमानाप्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियंत्रित हो या नहीं विमान अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो के 5 किमी0 की परिधि में 30मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5-उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, पलोर एरिया, रेसियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6-उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के संशोधन (Shifting) एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7-मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8-इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9-इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उत्संघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

#### (थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गई नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal)-किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाइन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

#### (द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1967 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बलरामपुर निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उत्संघन करेगा वह अर्धदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 1000.00 (एक हजार मात्र) तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (पचास मात्र) प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्धदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

सुधेश कुमार ओझा,

आयुक्त,

देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बलरामपुर